

23⁹/₁₅
दावा विद्वा
दिनांक
23/9/19

आज मठ पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत करने पर पेशी में भी गई। वकील वादी
द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी (वादी) व
प्रतिवादी का आपस में राजीनामा हो चुका है
तथा वादी अपना दावा आगे चलाकर नहीं चला
ई। अतः दावा विद्वा फरमाया जाये। वकील
वादी का कथन स्वीकार किया जाता है। दावा
परिसे विद्वा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
परिसे शुमार होकर दावा तत्पक्ष लकमीच दावा
दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क
दीकानेर शहर

